



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2041/2026

राम केवल और 3 अन्य

..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

प्रवेश के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

याचिकाकर्ताओं ने आजमगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम)

द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 690/2024 (राज्य बनाम राम केवल और अन्य) में दिनांक

19.02.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ यह आपराधिक पुनरीक्षण

याचिका दायर की है। यह परीक्षण मामला संख्या 287/2023, धारा 308, 323, 427, 504,

506 भा.दं.सं., बिलारियागंज थाना, जिला आजमगढ़ से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सूचनादाता ने मामला संख्या

287/2023, धारा 323, 427, 504, 506 भा.दं.सं., बिलारियागंज थाना, जिला आजमगढ़ में दर्ज

कराई थी। जांच के बाद , जांच अधिकारी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान मजिस्ट्रेट

न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मामले को विचाराधीन न्यायालय को सौंप दिया। सत्र सुनवाई

संख्या 690/2024 के तहत मुकदमा चल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने धारा 227 दंड प्रक्रिया के

तहत बरी करने के लिए आवेदन दिया था , जिस पर विचारण न्यायालय ने 19.02.2026 को

फैसला सुनाया था और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार किए बिना ही आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया था। घायल को लगी चोटें मामूली प्रकृति की हैं, हालांकि विचारण न्यायालय ने धारा 308 भा.दं.सं. के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया है , जबकि अपराध केवल धारा 323 भा.दं.सं. के तहत ही बनता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब तक घायल को लगी चोट उसके जीवन के लिए खतरनाक न हो , तब तक उसके खिलाफ धारा 308 भा.दं.सं. के तहत आरोप तय नहीं किया जा सकता। चोट रिपोर्ट में उल्लिखित चोट सुरेश की छाती पर फ्रैक्चर है, जिसके आधार पर अपराध धारा 325 भा.दं.सं. के तहत बनता है, लेकिन धारा 308 भा.दं.सं. के तहत नहीं। इन सभी तथ्यों को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति के आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में नहीं रखा , अतः निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.206 को पारित आदेश को रद्द किया जाए और पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए। उन्होंने **राम जस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 लॉ सूट (ऑल) 3106** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अपना तर्क आधारित किया।

विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों , याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदनों और मुख्य न्यायाधीश (एजीए) द्वारा प्रस्तुत दलीलों , अभिलेखों के अवलोकन , 19.2.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश और घायल की चोट रिपोर्ट पर विचार करने के बाद , यह प्रतीत होता है कि इस मामले में दो व्यक्ति घायल हुए हैं , एक शर्मिला और दूसरा सुरेश। पीएचसी में चिकित्सा परीक्षण के दौरान शर्मिला के शरीर पर पांच चोटें पाई गईं और उन्हें सीटी स्कैन के लिए भेजा गया, लेकिन सीटी स्कैन में उनके सिर में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया और सिर के कनपटी क्षेत्र में भी मामूली चोट लगी थी। सुरेश के शरीर पर सात चोटें थीं , चोट संख्या 2, 3, 5 और 7 के लिए उन्हें एक्स-रे और आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया , जहां एक्स-रे में उनके सीने के दाहिने हिस्से में फ्रैक्चर पाया गया , जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जांच के दौरान , सामग्री एकत्र की गई और भा.दं.सं. की धारा 308 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। जांच अधिकारी द्वारा सूचनादाता और घायल के बयान भी दर्ज किए गए और आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों और घायल सुरेश को लगी चोटों पर विचार करते हुए , डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करते हुए उक्त आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह आरोपी को दोषी ठहराए जाने से संतुष्ट हो, बल्कि केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और गंभीर संदेह के आधार पर भी **अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। इस प्रकार , विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2026 को पारित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं दिखती है , लेकिन यह पुनरीक्षण याचिका योग्यताहीन होने के कारण प्रवेश स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

तदनुसार, यह पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

25 मार्च, 2026

अनुराग सिंह